क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 4922/ O.A.-873/19/19 दिनांक 21.12.19

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi,
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Compliance report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 31.10.2019 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of U.P.

Sir,

With reference to the above subject mentioned above, this is to inform you that in compliance to the order passed by Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 31.10.2019 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Versus State of U.P, the compliance report is submitted for your kind perusal and necessary action please.

Yours Sincerely

Regional Officer

Copy to:

1- Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2- Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
3- Chief Law Officer, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
4- Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

Action taken report in compliance to order passed by Hon'ble NGT, New Delhi on dated 31.10.2019 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of U.P.

1.0 Background:

Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi on dated 31.10.2019 in matter of OA No. 873/2019, Tahir Vs. State of U.P. passed the following direction:-

"*Grievance in this application is against unscientific recycling of hazardous chemical by Sameer Enterprises at Khasra No. 39, Gali No. 3, Hindon Vihar, near Shyam Dharmkata, Meerut Road, Ghaziabad, U.P.*

Let the District Magistrate, Ghaziabad and Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) look into the matter and take appropriate action in accordance with law and furnish a factual and action taken report to this Tribunal within one month from the date of receipt of copy of this order by e-mail at judicial-ngt@gov.in.

The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance. A copy of this order, along with complaint, be sent to the District Magistrate, Ghaziabad and UPPCB by e-mail for compliance."

In compliance to the above order, District Magistrate, Ghaziabad nominated Additional City Magistrate II for joint inspection with U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad.

In pursuance of aforesaid direction, the site in question was inspected on dated 09-12-2019 by the following officials:-

I. Shri Devendra Pal Singh, ACM-2, Ghaziabad.

II. Shri Anshul Sharma, JE, UPPCB, Ghaziabad.

As per the findings during joint inspection, Additional City Magistrate II has submitted the compliance report to District Magistrate, Ghaziabad which is annexed with the report as ***Annexure 1.***

2.0 Observations:

During inspection, it was found that M/s Sameer Enterprises is situated at khasra no. 39, Gali no. 3, Hindon vihar, Meerut road, Ghaziabad, which falls in residential area under the jurisdiction of Nagar Nigam, Ghaziabad. Unit is engaged in process of washing & trading of empty drum containers contaminated with unknown chemicals. Unit has 03 illegal godown/ storage at site. At the time of inspection, washing of containers was being done in one unit out of 03 godownn and untreated effluent was being discharged directly into local drain, Photograph of which is below:-

Storage of empty plastic drum containers

Untreated effluent from M/s Sameer Enterprises discharging into local drain

Further, 01 unit, namely M/s Alisha casting Enterprises, 30 feet road, Gali no. 3, Hindan Vihar, adjacent to M/s Sameer enterprises was found engaged in casting of iron scrap, for which 01 pit furnace (Coal fired) was found operational at site. Unit has not installed Air pollution Control Device to control emissions generated from pit furnace, as depicted in photograph below:-

Pit furnace of M/s Alisha Emterprises, hindan vihar, Ghaziabad

- All the above units are situated in residential area & running illegally. Permission has not been granted to any of the illegal units from local authorities/ UPPCB.

3.0 Action Taken:

In view of above circumstances, 03 illegal plastic drum container godown and 01 illegal iron casting unit were sealed by joint team at the time of inspection as shown in the photograph below:-

Further, in view of the violations caused by the above industries, imposition of environmental compensation of Rs.15,25,000/- against each industry has been recommended by Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad. Copies enclosed as **annexure 2.**

4.0 Recommendation:

As the units were found operating illegally in residential areas, Nagar Nigam, Ghaziabad should carry out extensive survey of the area and ensure immediate closure of illegal units in Hindan Vihar.

The action taken report in the aforesaid matter is put up for your perusal and necessary action please.

Anshul

(Anshul Sharma)
JE
UPPCB, Ghaziabad

(Ankit Singh)
A.E.E.
UPPCB, Ghaziabad

Regional Officer

ANNEXURE - 1

कार्यालय अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) गाजियाबाद

संदर्भ: 9-1/ST-ACM-II/6.Bar दिनांक 9-12-19

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 नं-873/2019 ताहिर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे दिनांक 31.10.2019 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 नं-873/2019 ताहिर बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 मे दिनांक 31.10.2019 को पारित आदेश के अनुपालन मे अद्योहस्ताक्षरी द्वारा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्राधिकृत अधिकारियों के साथ हिण्डन विहार गली नं-3, मेरठ रोड गाजियाबाद का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय स्थल पर मैसर्स समीर इण्टरप्राइजेज, खसरा नं-30, गली नं-3, हिण्डन विहार मे प्लास्टिक ड्रमों के तीन अवैध गौदाम संचालित पाये गये। उक्त तीन गौदाम मे से एक गौदाम मे ड्रमों की धुलाई का कार्य होता पाया गया। स्थल पर उक्त गौदाम के समीप मैसर्स अलीशा कास्टिंग इण्टरप्राइजेज, 30 फुटा रोड, गली नं-3, हिण्डन विहार के नाम से एक ढलाई फैक्ट्री भी संचालित पायी गयी, जिसमे ईंधन के रूप मे कोयले का प्रयोग होता पाया गया। मौके पर उपस्थित किसी भी इकाई प्रतिनिधि द्वारा इकाई के सम्बन्ध मे अनुमति/लाईसेन्स प्रस्तुत नही किये गये। उक्त इकाईयॉ नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत आवासीय क्षेत्रान्तर्गत स्थापित/संचालित है।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मौके पर मैसर्स समीर इण्टरप्राइजेज के नाम से संचालित तीन प्लास्टिक ड्रम के गौदामों एवं मैसर्स अलीशा कास्टिंग इण्टरप्राइजेज, गली नं-3, हिण्डन विहार, गाजियाबाद नामक ढलाई फैक्ट्री मे संचालन कार्य बन्द कराते हुए सीलिंग की कार्यवाही की गयी।

उक्त आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

9/12/19
(डी0पी0 सिंह)
अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
गाजियाबाद।

ANNEXURE-2

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 4909 / ... 385/19 दिनांक 20.12.19

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मैसर्स अलीशा कास्टिंग इण्टरप्राइजेज, 30 फुटा रोड, गली नं–3, हिण्डन विहार मेरठ रोड, गाजियाबाद पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत इकाई नगर निगम, गाजियाबाद के सीमान्तर्गत स्थापित है। उधोग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 09.12.2019 तक (कुल दिन 305) रु0 प्रशमन रू0 15,25,000/– अधिरोपित किये जाने की संस्तुति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बोर्ड मुख्यालय से आरोपित होने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को मैसर्स अलीशा कास्टिंग इण्टरप्राइजेज के परिसर, 30 फुटा रोड, गली नं–3, हिण्डन विहार, मेरठ रोड, गाजियाबाद के राजस्व अभिलेखो के अनुसार भू–स्वामी पर अधिरोपित करने एवं नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा बसूलने हेतु बोर्ड मुख्यालय से पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

Sunil_docs

मैसर्स अलीशा कास्टिंग इण्टरप्राइजेज, 30 फुटा रोड, गली नं–3, हिण्डन विहार मेरठ रोड, गाजियाबाद पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) गणना सम्बन्धी आख्या।

कृपया उपरोक्त उक्त उद्योग का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 सख्या 873/2019 ताहिर बनाम उ0प्र0 सरकार मे पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के अनुपालन मे गठित संयुक्त समिति (जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा दिनांक 09.12.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उधोग आवासीय क्षेत्र मे अवैध रूप से संचालित पाया गया। अतः उक्त उधोग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधोरोपित किये जाने हेतु आख्या निम्नवत् है–

1. उद्योग मे 01 छोटी पिट फर्नेस स्थापित है एवं आयरन स्क्रेप की मेल्टिंग का कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग औद्योगिक प्रकिया मे किया जाता है।
3. उद्योग पर अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन की गणना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के पत्र सं0 बी–31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0–1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निम्नवत् की जा सकती है–

EC=PIxNxRxSxLF

N= Number of days of violation took place- इकाई के निरीक्षण दिनाक 09.12.2019 मे पाया गया कि उधोग आवासीय क्षेत्र मे बिना अनुमति के संचालित है तथा पिट फर्नेस मे मेल्टिंग कार्य से जनित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही है। निरीक्षण के दौरान संयुक्त समिति द्वारा उक्त उधोग को सील करते हुए उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है। निरीक्षण के दौरान उधोग प्रतिनिधि से उधोग स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये जिस कारण उधोग को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने सम्बन्धी गाईड लाईन दिनांक 08.02.2019 को आधार माना जा सकता है। **अर्थात दिनांक 08.02.2019 से उधोग को बन्द कराये जाने वाले दिनांक 09.12.2019 के मध्य उद्योग के विरूद्ध Environmental Compensation हेतु गणना सूत्र में N=305 को आधार माना जा सकता है।**

उद्योग अति लघु श्रेणी मे आच्छादित है। अतः उधोग के विरूद्ध प्रत्येक दिन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति न्यूनतम रू0 5000/– को आधार मानते हुए अवधि (दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 09.12.2019) 305 दिन के लिये गाइड लाइन सूत्र के अनुसार Environmental Compensation हेतु गणना निम्नवत् है–

PIxNxRxSxLF=305X5000=15,25,000/-

उपरोक्तानुसार तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन रू0 15,25,000/– अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(अंशुल शर्मा)
अवर अभियंता

(अंकित सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी,

Sunil_docs

क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad

संदर्भ संख्या : 4910/ m-8037/19 दिनांक 20-12-19

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–1,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः मैसर्स समीर इण्टरप्राइजेज, खसरा संख्या 39, गली नं–3, हिण्डन विहार मेरठ रोड, गाजियाबाद पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति **(Environmental Compensation)** के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत इकाई नगर निगम, गाजियाबाद के सीमान्तर्गत स्थापित है। उधोग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की आख्या दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 09.12.2019 तक (कुल दिन 305) रु0 प्रशमन रू0 15,25,000/– अधिरोपित किये जाने की संस्तुति इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बोर्ड मुख्यालय से आरोपित होने वाली पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति को मैसर्स समीर इण्टरप्राइजेज, खसरा संख्या 39, गली नं–3, हिण्डन विहार मेरठ रोड, गाजियाबाद के राजस्व अभिलेखो के अनुसार भू–स्वामी पर अधिरोपित करने एवं नगर निगम, गाजियाबाद द्वारा बसूलने हेतु बोर्ड मुख्यालय से पत्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

आख्या आपके अवलोकनार्थ अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उत्सव शर्मा)
क्षेत्रीय अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय : आई0एन0एस0–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद–201012 फोन–0120–4160108
मुख्यालय : TC-12V, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010
Website- www.uppcb.com, e-mail : roghaziabad@uppcb.com

Sunil_docs

मैसर्स समीर इण्टरप्राइजेज, खसरा संख्या 39, गली नं–3, हिण्डन विहार मेरठ रोड, गाजियाबाद पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) गणना सम्बन्धी आख्या।

कृपया उपरोक्त उक्त उद्योग का निरीक्षण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित ओ0ए0 संख्या 873/2019 ताहिर बनाम उ0प्र0 सरकार मे पारित आदेश दिनांक 31.10.2019 के अनुपालन मे गठित संयुक्त समिति (जिला प्रशासन एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) द्वारा दिनांक 09.12.2019 को किया गया। निरीक्षण के दौरान उधोग आवासीय क्षेत्र मे अवैध रूप से संचालित पाया गया। अतः उक्त उधोग के विरूद्व पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (Environmental Compensation) अधोरोपित किये जाने हेतु आख्या निम्नवत् है–

1. उद्योग द्वारा फूडग्रेड केमिकल से कन्टेमिनेटिड प्लास्टिक ड्रम्स की धुलाई का कार्य किया जाता है।
2. उद्योग में जल का प्रयोग केमिकल कन्टामिनेटिड ड्रमों के वॉशिंग के कार्य में किया जाता है। घरेलू उत्प्रवाह लगभग 1.0 कि0ली0/दिन का निस्तारण बिना शुद्धिकृत किये नाले मे किया जाता है।
3. उद्योग मे वायु प्रदूषण जनित करने वाला कोई स्त्रोत स्थापित नही है।
4. उद्योग पर अधिरोपित किये जाने वाले पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन की गणना केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र सं0 बी–31011/बी0एम0डब्ल्यू0/2019/डब्ल्यू0एम0डी0–1 दिनांक 08.02.2019 द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार निम्नवत् की जा सकती है–

$$EC=PI\times N\times R\times S\times LF$$

N= Number of days of violation took place- इकाई के निरीक्षण दिनांक 09.12.2019 में पाया गया कि उधोग आवासीय क्षेत्र मे बिना अनुमति के संचालित है तथा औधोगिक प्रक्रिया से उत्प्रवाह जनित होता है, जिसके शुद्धिकरण हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नही है। निरीक्षण के दौरान सयुक्त समिति द्वारा उक्त उधोग को सील करते हुए उत्पादन कार्य बन्द करा दिया गया है। निरीक्षण के दौरान उधोग प्रतिनिधि से उधोग स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही कराये जिस कारण उधोग को केन्द्रीय प्रदूषण नियत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित किये जाने सम्बन्धी गाईड लाईन दिनाक 08.02.2019 को आधार माना जा सकता है। **अर्थात दिनांक 08.02.2019 से उधोग को बन्द कराये जाने वाले दिनांक 09.12.2019 के मध्य उधोग के विरूद्ध Environmental Compensation हेतु गणना सूत्र में N=305 को आधार माना जा सकता है।**

उद्योग अति लघु श्रेणी मे आच्छादित है। अतः उधोग के विरूद्ध प्रत्येक दिन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति न्यूनतम रू0 5000/– को आधार मानते हुए अवधि (दिनांक 08.02.2019 से दिनांक 09.12.2019) 305 दिन के लिये गाइड लाइन सूत्र के अनुसार Environmental Compensation हेतु गणना निम्नवत् है–

$$PI\times N\times R\times S\times LF=305X5000=15,25,000/-$$

उपरोक्तानुसार तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उक्त इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति प्रशमन रू0 15,25,000/– अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

(अंशुल शर्मा)
अवर अभियता

(अंकित सिह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

क्षेत्रीय अधिकारी,

Sunil_docs